



***Dr. REETU RAJ***

*Assistant Professor*

*Department of HISTORY*

*RAJA SINGH COLLEGE SIWAN*

*(Jai Prakash University Chapra)*

*Lecture Notes on - ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक  
जीवन। (Note-2)*

*(for TDC Part 1 HISTORY HONOURS)*

## ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन।

सैन्य-संगठन व्यवस्था में साधारण सैनिक पैदल होते थे, परन्तु अधिकारी रथों पर बैठकर युद्ध करते थे। रथ दो, तीन या चार घोड़े द्वारा जोते जाते थे। तीर-कमान, तलवार और भाला उनके मुख्य अस्त्र, शस्त्र थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे कवच और ताँबे की टोपी भी पहनते थे। वे किलों को नष्ट करने हेतु एक गतिशील मशीन का प्रयोग करते थे।

कुछ कबीलाई संस्थाएं अस्तित्व में थी, जैसे- सभा, समिति, विदथ तथा गण। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी। इस काल की शासन व्यवस्था में 'सभा' और 'समिति' का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये संस्थाएँ शासन का लोकतन्त्रीय भाग थीं। परन्तु उनकी उत्पत्ति, संगठन और कार्यों के बारे में डॉ. एन. सी. बन्दोपाध्याय, डॉ. के. पी. जायसवाल, डॉ. अल्लेकर, डॉ. वी. एम. आप्टे जैसे विद्वानों में मतभेद है।

**सभा** - सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तरकाल में हुई थी। यह वृद्ध (श्रेष्ठ) एवं अभिजात (संभ्रान्त) लोगों की संस्था थी। यह समिति की अपेक्षा छोटी थी। सभा में भागीदारी करने वाले को सभेय कहा जाता था। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा को एक स्थान पर 'नरिष्ठा' कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुलंघनीय है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सभा द्वारा लिया गया निर्णय अनुलंघनीय होता था। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है।

**समिति** - यह एक आम जन प्रतिनिधि सभा (केन्द्रीय राजनीतिक) थी। समिति राजा का निर्वाचन करती थी तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। इस समिति को राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार था। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी तथा सहमति से निर्णय होता था। समिति में राजनीतिक गैरराजनीतिक विषयों पर भी चर्चा होती थी और यह राष्ट्रीय संस्था का भी काम करती थी। ऋग्वेद में 9 बार समिति की चर्चा हुई है।

**विदथ** -आर्यों की यह सबसे पुरानी संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। रामशरण शर्मा का मानना है कि ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख 22 बार हुआ है। इनके अनुसार विदथ ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गयी वस्तुओं अथवा उपहार और समय-समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। इस प्रकार, सभा, समिति, विदथ और परिषद् वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी।

References: Internet & Competitive books.